न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ (सीकर)

बइजलास मनोज कुमार मीणा , आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 18/दावा /2018

1 मोटाराम पुत्र रामूराम उम्र 80 वर्ष नि0ग्राम सुन्दारिया तन मोटलावास तह0दांतारामगढ। जिला सीकर राज0

–प्रार्थी/ वादी

ब ना म

1. श्योनारायण पुत्र रामूराम उम्र वयश्क जाति जाट नि0सुन्दारिया तन दलतपुरा तह0दांतारामगढ जिला सकर।
2. सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक ,शाखा दांता तह0दांतारामगढ जिला सीकर जरिये शाखा प्रबंधक ।
3. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा –दांता तहसील दांतारामगढ जिला सिकर जरिये शाख प्रबंधक
4. तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर।

– प्रतिवादीगण

दावा बंटवारा , व स्थायी निषेधाज्ञा एवं 53,188 भू–राजस्व अधि0

उपस्थिति:

1. श्री एच. आर.सुण्डा , वकील वादी की ओर से
2. शेष प्रति0गण की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय दिनांक– 18.09.2018

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि विवादस्पद कृषि भूमियॉ ख.न. 832 रकबा 0.0900 है0 ख.न. 833 रकबा 0.0100 है0 ख.न.834 रकबा 3.0700है0 किता 3 रकबा 3.1700 है0 तन ग्राम सुन्दारिया पटवार हल्का मोटलावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। जो कि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे,काश्तशुदा भूमियॉ है जिसमें वादी व प्रतिवादी की पैत्रिक भूमियां है। मौके पर बाहमी बंटवारा के अनुसार सींव नींव कायम कर काबिज काश्त है। विवादित भूमियो का विधिवत बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा नही हुआ है। प्रतिवादी भोला – भाला व्यक्ति है जो रिश्तेदारो एवं अन्य दीगर भू माफिया लोगो के प्रभाव में आ चुका है। अब उक्त प्रतिवादी वादी को खुले आम धमकिया देता रहता है कि मै मेरे हिस्से की भूमि का विक्रय पत्र दीगर व्यक्तियों का कर दूँगा। पक्षकारान मौके पर अन्दाज से बाहमी बंटवारा के अनुसार सींव नींव कायम कर काबिज काश्त है। परन्तु अब प्रतिवादी के मन बदनीयति आ गई है। पक्षकारान के मध्य आये दिन विवाद हो रहता है। विवादित भूमियो में बाहमी बंटवारे में प्रापत हुई है तथा वादीके बाहमी बंटवारे की भूमि से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता नही है । अब प्रतिवादी सं.1 जो कि विदित भूमियो में 1/2 हि0 का सह खातेदार /काश्तकार है। जो कि प्रतिवादीगण बैंक से मिलकर वादी के कब्जे ,काश्त में दखल अंदाजी करना चाहता है तथा नया रास्ता कायम करना चाहते है। प्रतिवादी ने गुपचुप तरीके से किसी बैंक के यहॉ रहन रखकर वित्तीय सहायता प्राप्त कर वादी के हक

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

हिस्से को खुर्द बुर्द करना चाहता है। प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी करने में कामयाब हो गये तो इस कदर वादी को घोर असुविधा व अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी तलाफी भविष्य मे कानून द्वारा किसी भी प्रकार से भरपाई किया जाना संभव नही है। विवादास्पद सामलाती भूमियों का पक्षकरान् के मध्य विधिवत बाई मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जाकर वादी को उसके 1/2 हक व हि0 का अलग से काबिज खातेदार /काश्तकार उद्धोषित किया जाकर अलग अलग सींव – नींव व लगान निर्धारित तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में रिकार्ड संशोधन फरमाया जाना सादर प्रार्थनीय एवं न्यायोचित है।

वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में ग्रम सुन्दारिया पटवार हल्का मोटलावास की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश की है।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी सं.1 ता 4 बावजूद तामील सूचना के अनु0 रहने पर इनके विरूद्ध नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विवादित भूमियो पर मौके पर बाहमी बंटवारे के अनुसार काबिज काश्त की जा रही है। वकीलवादी एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने कथन किया कि रिकार्ड में पक्षकारान के मध्य अभी तक विधिवत रूप से बाई मीट्स बाउण्डस बंटवारा नही हुआ है जो किया जाना न्यायोचित है।

हमने बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के डिकी किया जाने का निवेदन किया। हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया विवादस्पद कृषि भूमियॉ ख.न.832 रकबा 0.0900 है0 ख.न. 833 रकबा 0.0100 है0 ख.न.834 रकबा 3.0700है0 किता 3 रकबा 3.1700 है0 तन ग्राम सुन्दारिया पटवार हल्का मोटलावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जिनकी खातेदारी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। जो विधिवत बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा चाहने का अधिकारी है।

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है कि विवादित आराजी ख.न.832 रकबा 0.0900 है0 ख.न. 833 रकबा 0.0100 है0 ख.न.834 रकबा 3.0700है0 किता 3 रकबा 3.1700 है0 तन ग्राम सुन्दारिया पटवार हल्का मोटलावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर मौके व रिकार्ड अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक खाटूश्यमाजी तह0 दांतारामगढ जिला सीकर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है तथा प्राथमिक डिकी निम्न शर्तो के अनुसार जारी की जाती है:–

1. यदि पक्षकारान ने बाहमी बंटवारा कर अपने अपने हि0 पर काबिज चले आ रहे है तो उसी के अनुसार प्रस्ताव भिजवावें।
2. पक्षकरान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।
3. यदि उपरोक्त बिन्दु सं. 1 व 2 द्वारा पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना संभव नही हो तो उपरोक्त वर्णित आराजी का पक्षकारान के बीच अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा कर बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर नक्शा ट्रैश में प्रस्तावित बंटवारा दर्शाते हुऐ बटा नम्बर डालकर प्रस्ताव तहसीलदार दांतारामगढ के माध्यम से भिजवावें तथा पक्षकारान को नोटिस देकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय में नियत तिथि दिनाक 26.11.2018 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर दो प्रति प्रस्ताव के साथ भिजवावें।

उपरोक्त प्राथमिक डिकी जारी हो वादी मौका कमिश्नर फीस 300/–रू0 अदा करेगें। इस पत्रावली में तहरीर जारी होकर बंइन्तजार बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा के दिंनाक का पेश हो। यह आदेश आज दिंनाक 18.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

प्राथमिक डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ,सीकर

इजलास मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस

मोटाराम बनाम श्योनारायण आदि

दावा दावा बंटवारा , व स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 53,188 भू–राजस्व अधि0

मुकदमा नं018 / दावा सन् 2018 निर्णय दिनांक.18.09.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस बहाजरी **श्री एच.आर.सुण्डा** मिनजानिब मुद्दई व **एकपक्षीय** मिनजानिब मुददालह पेश होकर हुकम दिया जाता है, वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है कि विवादित आराजी कृषि आराजियात भूमि विवादित आराजी ख.न.832 रकबा 0.0900 है0 ख.न. 833 रकबा 0.0100 है0 ख.न.834 रकबा 3.0700है0 किता 3 रकबा 3.1700 है0 तन ग्राम सुन्दारिया पटवार हल्का मोटलावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के मौके व रिकार्ड अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किये जाने हेतु भू.अभिलेख निरीक्षक खाटूश्यामजी तह0 दांतारामगढ जिला सीकर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है तथा प्राथमिक डिकी निम्न शर्तो के अनुसार जारी की जाती है:–

1 यदि पक्षकारान ने बाह्मी बंटवारा कर अपने अपने हि0 पर काबिज चले आ रहे है तो उसी के अनुसार प्रस्ताव भिजवावें।
2 पक्षकरान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।
3 यदि उपरोक्त बिन्दु सं. 1 व 2 द्वारा पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना संभव नही हो तो उपरोक्त वर्णित आराजी का पक्षकारान के बीच अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा कर बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर नक्शा ट्रैश में प्रस्तावित बंटवारा दर्शाते हुऐ बटा नम्बर डालकर प्रस्ताव तहसीलदार दांतारामगढ के माध्यम से भिजवावें तथा पक्षकारान को नोटिस देकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय में नियत तिथि दिंनाक 26.11.2018 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर दो प्रति प्रस्ताव के साथ भिजवावें।

उपरोक्त प्राथमिक डिकी जारी हो वादी मौका कमिश्नर फीस 300 / –रू0 अदा करेगें। इस पत्रावली में तहरीर जारी होकर बंइन्तजार बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा के दिंनाक 26.11.2018. को पेश हो।

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.09.2018 को जारी की गई।

दस्तखत ओहदा
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ (सीकर)

बइजलास मनोज कुमार मीणा , आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 18/दावा /2018

1 मोटाराम पुत्र रामूराम उम्र 80 वर्ष नि0ग्राम सुन्दारिया तन मोटलावास तह0दांतारामगढ। जिला सीकर राज0

–प्रार्थी/ वादी

ब ना म

1. श्योनारायण पुत्र रामूराम उम्र वयश्क जाति जाट नि0सुन्दारिया तन दलतपुरा तह0दांतारामगढ जिला सकर।
2. सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक ,शाखा दांता तह0दांतारामगढ जिला सीकर जरिये शाखा प्रबंधक ।
3. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा –दांता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जरिये शाख प्रबंधक
4. तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर।

– प्रतिवादीगण

दावा बंटवारा , व स्थायी निषेधाज्ञा एवं 53,188 भू–राजस्व अधि0

उपस्थितिः

1. श्री एच. आर.सुण्डा , वकील वादी की ओर से
2. प्रति0गण सं 1ता 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय दिनांक– 18.09.2018

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner